भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

भूमि उच्छेद वाद सं0–13/2014–15

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम्

उमाकांत सिंह

9-2-16

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक– 900/रा0, दिनांक–17/12/2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– गंगटा खुर्द, थाना नं0– 515, ज0 नं0–51, दाग नं0–1086/1386, रकवा–00–11–03 धुर जमीन में से अनुमानित 00–02–00 धुर जमीन जो खतियान में देवान हाँसदा वगैरह वर्त्तमान ज0रैयत जयनारायण हाँसदा वगैरह, पे0–रामकाश हाँसदा साकिन–गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा के नाम से दर्ज है। स्थानीय जाँच एवं पूछताछ के आधार पर प्रतिवेदित किया गया है कि श्री उमा कापरी, पे0– नामालुम, ग्राम– बडैडी, धौरैया, जिला– बाँका (बिहार) के द्वारा ईट का दीवाल घेरकर भवन निर्माण किया जा रहा है। जिसे बंद करने हेतु कहा गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री उमाकांत सिंह, पिता–स्व0 गौरी प्रसाद सिंह, ग्राम– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है। विवादित भूमि पदाधिकारियों के आवासीय भवन के नजदीक है। श्री उमाकांत सिह द्वारा आदिवासी खाते की भूमि को अवैध रूप से कब्जा किया गया है एवं रूक–रूक कर इस पर निर्माण कार्य किया जाता है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा अवैध रूप से दखल किए गए भूमि को उच्छेद कर जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

9.2.16

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

9.2.16

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

D.B. No 79/76
9/2/16